यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालय मऊ: प्रथम तल, ख्वाजाजहाँपुर
ओवर ब्रिज के पास, बलिया मोड़, मऊ, उ0प्र0–275101
दूरभाष : 0547–2970142 Email : crd.romau@unionbankofindia.bank.in

अचल सम्पत्ति के विकय हेतु विकय सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पूर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई–निलामी हेतु बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण को सामान्य रूप से तथा ऋणी (बकायेदार) और जमानतकर्ता/ओं को विशेष रूप से सूचित किया जाता है, कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों जो प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधक / प्रभारित है, का रचनात्मक/भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति ऋणदाता) द्वारा लिया गया है जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' के आधार पर ऋणी/यों तथा जमानतदारों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति ऋणदाता) बकाया धनराशि वसूली हेतु नीचे वर्णित तिथि पर निम्न विवरणों के साथ बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

ऑनलाइन ई–नीलामी हेतु वेबसाइट https://baanknet.com
निलामी की तारीख व समय : 29.12.2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 05.00 तक
बिड/धरोहर राशि (ई.एम.डी) जमा करने का समय: ई नीलामी शुरू होने से पहले तक

क्र0 सं0	ऋणी का नाम जमानतदार का नाम शाखा	निलामी की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	1. आरक्षित मूल्य 2. अग्रिम धनराशि 3. बोली वृद्धि धनराशि	1. सम्पत्ति निरिक्षण की तारीख व समय 2. प्राधिकृत अधिकारी का नाम व नम्बर	बकाया राशि ब्याज व अन्य खर्च के साथ	भार का विवरण सांकेतिक/ भौतिक
1-	**ऋणी: श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बंडू राम पता** : ग्राम एवं पोस्ट रतसर खुर्द जिला बलिया (उ.प्र.) 277123 **सह–ऋणी : श्रीमती रीमा देवी पत्नी मनोज कुमार पता** : : ग्राम एवं पोस्ट रतसर खुर्द जिला बलिया (उ.प्र.) 277123 **शाखा : बांसडीह**	संपत्ति के समस्त एवं सम्पूर्ण भाग भूमि एवं भवन शामिल हैं, बिक्री विलेख संख्या–2117, दिनांक 15.05.2017 और सुधार विलेख संख्या–7791, दिनांक 03.12.2018, प्लाट/आराजी संख्या–51 मि, क्षेत्रफल 0.044 हेक्टेयर या 440.00 वर्ग मीटर, ग्राम बैजूपुर, परगना कोपाचित शर्की, तहसील एवं जिला बलिया (उ.प्र.) में स्थित, श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बंडू राम के नाम, **संपत्ति की बिक्री विलेख के अनुसार चौहद्दी: पूर्व**– लक्ष्मी पांडेय की भूमि, **पश्चिम**– 10 फीट चौड़ा रास्ता, **उत्तर**– सरवरी परवीन और हिना परवीन की भूमि, दक्षिण– विक्रेता और अशोक कुमार गौतम की भूमि, **संपत्ति की सुधार विलेख के अनुसार चौहद्दी: पूर्व**– खड़ंजा रास्ता, **पश्चिम**– लक्ष्मी पांडेय की भूमि, **उत्तर**– सरवरी परवीन और हिना परवीन की भूमि, **दक्षिण**– विक्रेता और अशोक कुमार गौतम की भूमि	1. रू. 44,89,000/– 2. रू. 4,48,900/– 3. रू. 44,890/–	1. प्राधिकृत अधिकारी के परामर्श से 2. श्री प्रशान्त कुमार मो0 नं0 : 7800003609 ई–मेल: sarfaesi@unionbankofindia.com & crd.romau@unionbankofindia.bank.in	रू. 24,19,844.56 + 23.04.2025 के डिमांड नोटिस के अनुसार और ब्याज साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत आदि	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं 15.10.2025 सांकेतिक कब्जा

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई–निलामी में भाग लेने के लिये अपनी बोलियां जमा करने से पहले ई निलामी नियम के विस्तृत नियम और शर्तो और अन्य विवरणों के लिये बैंक की वेबसाइट : www.unionbankofindia.co.in पर जाएं। बोलीदाता वेबसाइट https://baanknet.com पर भी जा सकते हैं। हेल्पलाइन इमेल आईडी : support.BAANKNET@psballiance.com इच्छुक बोलीदाताओं के पास ऑनलाइन नीलामी में भग लेने के लिये वैध ई–मेल आईडी होना चाहिए। बिक्री के नियम पूरी तरह से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

वैधानिक 15 दिनों की विक्रय नोटिस अन्तर्गत नियम 8(6) नियम 9(1) सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (इन्फोर्समेन्ट) नियम 2002

इसे security interest (Enforcement) Rules, 2002 के नियम 8(6) नियम 9 (1) के अन्तर्गत उक्त तिथि को की जा रही ई नीलामी बिक्री के सम्बन्ध में उक्त ऋण के बावत ऋणियों/ जमानतकर्ताओं को जारी किया हुआ नोटिस भी माना जाये।

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी मूल पाठय ही मान्य होगा।

दिनांक: 12.11.2026 स्थान: बलिया

प्राधिकृत अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इण्डिया

फॉर्म सं. 14
[विनियम 33(2) देखें]
पंजी. ए.डी./दस्ती द्वारा, विफल रहने पर प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी - I/II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)
4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

मांग सूचना
ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

आरसी /271/2026 08–10–2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम कमल किशोर गोयल

सेवा में,

(सीडी1) :कमल किशोर गोयल / कमल किसोर गोयल, पुत्र श्री एन.एम. गोयल, निवासी:ए–10/510, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, गुड़गांव, गुड़गांव, हरियाणा

(सीडी 2) श्रीमती अनीता गोयल, पत्नी श्री कमल किशोर गोयल, निवासी:ए–10/510, सहारा ग्रेस, एम.जी. रोड, गुड़गांव, हरियाणा

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा टीए/1379/2022 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 3,46,49,449 (रुपये तीन करोड़ छियालीस लाख उनचास हजार चार सौ उनचास मात्र) की राशि, दिनांक 20/10/2016 से वसूली तक 8.50% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर विलंबित और भविष्य के ब्याज तथा रु. 1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से/पूर्ण/सीमित) देय हो गया है।

2. एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, विफल रहने पर वसूली 'बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993' और उसके नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. एतद्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक शपथ पत्र पर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करें।

4. एतद्वारा आपको आगे की कार्यवाही के लिए 13/01/2027 को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस सूचना के तुरंत बाद की अवधि के लिए देय ब्याज।

(ख) इस सूचना, वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों में खर्च की गई समस्त लागत, शुल्क और व्यय।

आज दिनांक 08/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

वसूली अधिकारी,
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

Karnataka Bank Ltd.

Your Family Bank. Across India.

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
पी.बी. क्रमांक 599, महावीर सर्कल
कंकनडी, मंगलुरु–575 002

फोन: 011–25813466 (एक्सट–231)
ई–मेल:delhiarm@ktkbank.com
वेबसाइट:www.karnatakabank.com
सीआईएन:L85110KA1924PLC001128

कानूनी एवं वसूली विभाग

1. मेसर्स अरोड़ा टूल्स प्रा. लि. अपने निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्वित: (a) श्री बृज लाल अरोड़ा, (b) श्री विजय अरोड़ा, (c) श्री अनिल अरोड़ा,पंजीकृत पता: 213/13, प्रथम तल, पुरानी रेलवे रोड, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001

2. श्री बृज लाल अरोड़ा पुत्र श्री नंद लाल अरोड़ा निवासी मकान नं.707 सेक्टर–15, भाग–।। अर्बन एस्टेट, गुड़गांव–122001

3. श्री विजय अरोड़ा पुत्र श्री बृज लाल अरोड़ा निवासी मकान नं.707 सेक्टर–15, भाग–।। अर्बन एस्टेट, गुड़गांव–122001

4. श्री अनिल अरोड़ा पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी मकान नं.707 सेक्टर–15, भाग–।। अर्बन एस्टेट, गुड़गांव–122001

5. श्रीमती रेखा अरोड़ा पत्नी श्री अनिल अरोड़ा निवासी मकान नं.707 सेक्टर–15, भाग–।। अर्बन एस्टेट, गुड़गांव–122001

श्रीमान/महोदया,

(i) पीएस टर्म लोन खाता संख्या **2617001800029201 दिनांक 22.04.2022 राशि रु.9,63,000.00, (ii) पीएसओडी लोन खाता संख्या 2617000600038201 दिनांक 30.03.2026 (नवीनीकरण) राशि रु. 75,00,000.00 और (iii) डब्ल्यूसीडीपीएन लोन खाता संख्या 2617001400027901** दिनांक 13.11.2023 राशि रु.25,00,000.00, ये सभी ऋण सुविधाएं गुरुग्राम शाखा, हरियाणा से आपके द्वारा प्राप्त की गई हैं, जिनमें आप संख्या 1, मैसर्स अरोड़ा टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके निदेशक हैंरू (ए) श्री बृज लाल अरोड़ा, (इ) श्री विजय अरोड़ा, (ब) श्री अनिल अरोड़ा, उधारकर्ता हैं तथा आप संख्या 2, श्री बृज लाल अरोड़ा, आप संख्या 3, श्री विजय अरोड़ा, आप संख्या 4, श्री अनिल अरोड़ा और आप संख्या 5, श्रीमती रेखा अरोड़ा सह–दायित्वधारी/गारंटर हैं, को दिनांक 16.07.2026 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को दिनांक 22.10.2026 को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2)–(3) के अंतर्गत विस्तृत मांग नोटिस जारी करके सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उक्त मांग नोटिस उपर्युक्त उल्लिखित पतों पर पावती सहित स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था, लेकिन वह बिना तामील हुए वापस आ गया है। अतः, हमने सरफेसी अधिनियम 2002 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस नोटिस के माध्यम से मांग नोटिस की विषय–वस्तु प्रकाशित की है। 21.10.2026 तक बकाया राशि रूपये 77,47,385.81 (रुपये सतहत्तर लाख सैंतालीस हजार तीन सौ पचासी और इक्यासी पैसे मात्र) है, अर्थात (i) पीएस एवं टर्म लोन खाता संख्या–2617001800029201 के अंतर्गत रूपये 2,76,227.00, जिस पर 11.10.2026 से प्रभावी 9.14: की भविष्य की ब्याज दर मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लागू होगी, (ii) PSOD A/c No- 2617000600038201 के अंतर्गत रू-72,17,229.81, जिस पर 01.10.2026 से प्रभावी 9.97% की भविष्य की ब्याज दर मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लागू होगी, (iii) डब्ल्यूसीडीपीएन खाता संख्या– 2617001400027901 के अंतर्गत रूपये 2,53,929.00, जिस पर 13.10.2026 से प्रभावी 9.93% की भविष्य की ब्याज दर मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लागू होगी। आपसे इस समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का आह्वान किया जाता है।

बंधक रखी गई संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

संपत्ति संख्या 1 आवासीय अपार्टमेंट संख्या 990, 9वीं मंजिल पर स्थित, जिसका क्षेत्रफल लगभग 48 वर्ग मीटर (516.67 वर्ग फुट) कारपेट एरिया है, टावर–आइरिस में 'एपेक्स आवर होम्स' में स्थित है, जिसके साथ एक कार पार्किंग स्थान (खुला / ढका हुआ) के उपयोग का अनन्य अधिकार भी शामिल है, जो इसका अविभाज्य हिस्सा है, साथ ही उक्त भवन / टावर के नीचे की भूमि में केवल आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य हिस्सेदारी भी शामिल है, जिसमें उक्त अपार्टमेंट स्थित है, साथ ही ऐसे सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में आनुपातिक अधिकार भी शामिल हैं, जिनमें सभी रास्ते, पथ, गलियारे, लिफ्ट, सीढ़ियां, लॉबी और अन्य सभी संबंधित सुविधाएं शामिल हैं, जो सेक्टर–37सी , गुरुग्राम, हरियाणा–122001 में स्थित हैं, जो श्रीमती रेखा अरोड़ा के स्वामित्व में है।

संपत्ति संख्या 2. 2 बीएचके आवासीय फ्लैट संख्या ए–102 का संपूर्ण भाग एवं पार्सल, जिसका माप 105 Sq- mtrs. (1130 वर्ग फीट) कवर्ड एरिया है, जो प्रथम तल, ब्लॉक ।।। पर स्थित, मॉन्टक्लेयर अपार्टमेंट्स के नाम से ज्ञात अपार्टमेंट में स्थित है, जो लॉरिस्टन एस्टेट, स्प्रिंग रोड, मसूरी, सिटी बोर्ड क्षेत्र, लाइब्रेरी चौक के निकट, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है, तथा इसके साथ सामान्य क्षेत्रों एवं उससे संबंधित सहायक सुविधाओं पर अधिकार भी शामिल हैं, जो श्री विजय अरोड़ा के स्वामित्व में है।

कृपया ध्यान दें कि मैं, सुरक्षित लेनदार बैंक का प्राधिकृत अधिकारी, इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने तक या उससे पहले आपकी देनदारियों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में उपर्युक्त प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने का आशय रखता हूँ।

स्थान: नई दिल्ली **हस्ता/– कर्नाटक बैंक लिमिटेड की ओर से,**
दिनांक: 17.11.2026 **मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी.**

Bank of India

Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : दिल्ली एनसीआर जोन
बत्रा हाउस, प्लॉट नंबर 52, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरूग्राम–122003, हरियाणा
फोन : 0124–2388404 / 2388409

ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

चल सम्पत्तियों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) के परंतुक और अचल सम्पत्तियों के लिए नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित निम्नवर्णित चल/अचल सम्पत्ति(यां), जिसका/जिनका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा प्रत्याभूत लेनदार के रूप में बैंक ऑफ इंडिया की निम्नवर्णित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, संबंधित कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) की तरफ बैंक/प्रत्याभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए 24.12.2026 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "जो भी है वहां है" तथा "कोई उपाय नहीं" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा नीचे तालिका में संबंधित खाते/सम्पत्ति के सामने वर्णित की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बिक्री वेब पोर्टल https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय
	पलवल शाखा: बालाजी निवास नियर राहुल नर्सिंग होम 59किमी दिल्ली– मथुरा रोड पलवल 121102 मो. 8839100471 ईमेल– palwal.delhincr@bankofindia.bank.in आईएफएससी कोड़ – BKID0006735, खाता सं. : 673590200000033, खाते का नाम : इंटरमिडियरी इनवार्ड आउटवार्ड रेमिटेंस अकाउंट				
1.	उधारकर्ता/बंधककर्ता उधारकर्ता– श्री नरवीर सिंह पुत्र श्री ज्योति प्रसाद, सह–उधारकर्ता– श्रीमती कुसुम लता पत्नी श्री नरवीर सिंह, दोनों निवासी मकान संख्या 336/11, वार्ड संख्या 9, न्यू कॉलोनी, पलवल, तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा 121102	आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग और हिस्सा जो मकान संख्या 336/1, खसरा संख्या 1908(13–6), 1910(7–1), 1914(3–15), 1915(2–16) में स्थित है, जो आइस फैक्ट्री के पास, वार्ड नंबर 9, 4 मरला कॉलोनी के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, पलवल, पलवल – 121102, हरियाणा में स्थित है, जो श्रीमती कुसुम लता पत्नी नरवीर सिंह के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 125.00 वर्ग गज है। स्वामित्व: मुक्त स्वामित्व सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: गली, पश्चिम: आइस फैक्ट्री उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: अन्य की संपत्ति	रु. 16,53,164.00 + ब्याज 14.06.2019 23.09.2022 / सांकेतिक कब्जा	रु. 47.03 लाख रु. 4,70,300/- रु. 10,000/-	24.12.2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. बिक्री "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है आधार", "जो भी है वहां है आधार" तथा "कोई उपाय नहीं आधार" पर की जाएगी तथा ई–नीलामी पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी।

2. ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें वेबसाइट (क) https://www.bankofindia.co.in, (ख) https://baanknet.com में उपलब्ध हैं। बोलीदाता https://baanknet.com देखें जिसमें बोलीदाताओ के लिए "दिशानिर्देश" शिक्षा–वीडियोज के साथ उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पर्याप्त अग्रिम में पूरी करनी होंगी :

स्टेप 1. बोलीदाता/क्रेता पंजीकरण : बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर तथा ई–मेल आईडी का उपयोग करते हुए ई–नीलामी प्लेटफार्म (लिंक ऊपर दिया गया है) पर पंजीकरण करवाना होगा।

स्टेप 2. ईएमडी राशि का बिडर ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में अंतरण : निधियों का ऑनलाइन/ऑफलाइन अंतरण, एनईएफटी/अंतरण विधि का प्रयोग करते हुए, ई–नीलामी प्लेटफार्म पर जनित चालान का प्रयोग करते हुए।

स्टेप 3 : बोलीदाता प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता स्टेप 1 तथा 2 पूरा करने के बाद ई–नीलामी प्लेटफार्म पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।

3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया तथा सम्पत्ति के स्वामित्व, ऋणभारों इत्यादि के संबंध में स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ऐसा करता माना जाएगा। सम्पत्ति सभी ज्ञात एवं अज्ञात वर्तमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकार/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री के लिए प्रस्तुत सम्पत्ति के संबंध में ऑनलाइन बोली देने के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4. ऑनलाईन ई–नीलामी की तिथि 24.12.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे के बीच होगी

5. ईएमडी और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 24.12.2026 शाम 5:00 बजे तक।

6. निरीक्षण की तिथि 21.12.2026 को या उससे पहले दोपहर 1.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच होगी । उपयुक्त शाखा में पुर्वअनुमति के साथ।

7. बोली केवल ऑनलाइन विधि से प्रस्तुत की जाएगी।

8. बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य से अधिक प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोलीदाता अपनी बोली उपरिवर्णितानुसार गुणजों में बढ़ा सकते हैं।

9. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली देने तथा ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए वेबसाइट देखें।

10. यह माना जाएगा कि बोलीदाता बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ चुके हैं और उनसे बाध्य होंगे।

11. अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति का निरीक्षण करने और अपनी संतुष्टि करने की जिम्मेदारी स्वयं इच्छुक बोलीदाताओं की होगी।

12. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

13. धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि (पहले जमा की जा चुकी ईएमडी सहित) नीलामी उसके पक्ष में छूटते ही तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करनी होगी तथा शेष राशि बिक्री की तिथि से 15वें दिन को या पहले जमा करनी होगी। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। यदि सफल बोलीदाता क्रय मूल्य की अदायगी निर्धारित अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की जा चुकी पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की नीलामी दोबारा की जाएगी। चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति/राशि के संबंध में सभी दावे जब्त माने जाएंगे।

14. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक अथवा ई–नीलामी सेवा प्रदाता किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या/बिजली फेल होने/किसी अन्य तकनीकी गड़बड़ी/विफलता इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से ई–नीलामी आयोजन में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पर्याप्त पावर बैक इत्यादि सहित तकनीकी दृष्टि से समुचित तैयारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

15. क्रेता को लागू स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/नीलामी मूल्य पर टीडीएस/अन्य प्रभार इत्यादि, अन्य प्रभार, तथा किसी निकाय को देय सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक देयताएं, कर, आकलन प्रभार आदि वहन करने होंगे।

16. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा उसका, अपने विवेकानुसार बिना कोई कारण बताए, कोई भी या सभी बोलियां अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी निश्चित अथवा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने/निरस्त करने, सम्पत्ति या उसका कोई भाग नीलामी से वापस लेने अथवा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

17. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता(ओं)/आवेदक(कों) के नाम में जारी किया जाएगा तथा किसी भी अन्य नाम(मों) को जारी नहीं किया जाएगा।

18. बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। बिक्री के नियमों/शर्तों के संबंध में इसके अतिरिक्त विवरण/पूछताछ यदि कोई है, संबंधित शाखाओं से, उनके दिए गए सम्पर्क नंबरों पर, की जा सकती है।

19. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामत: https://www.bankofindia.co.in / https://baanknet.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(2) एवं 8(6) के तहत
कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को वैधानिक 30 दिन की वैधानिक बिक्री सूचना

अधोहस्ताक्षरी को, बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और तदधीन विरचित नियमों के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा बिक्री की यह सूचना जारी करने हेतु पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आपने बैंक द्वारा मंजूर की गई उपरिवर्णित अग्रिम राशियों के संबंध में बकाया राशि, मासिक अंतराल पर ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि चुकाने में चूक की है। अतएव बैंक द्वारा धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है तथा उपरिवर्णित राशि का भुगतान 60 दिन के भीतर करने की मांग की है। आप 60 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहे हैं। अतएव, प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर तालिका में वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। एतद्द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णितानुसार राशि का भुगतान बिक्री हेतु निर्धारित तिथि से पहले कर दें, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई राशि बकाया रह जाएगी, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। कृपया नोट करें कि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से सबसे पहले मांग सूचना जारी करने, कब्जा लेने, आस्तियों के मूल्यांकन तथा बिक्री से संबंधित सभी खर्चे काटे जाएंगे और शेष राशि आपकी देयता में समायोजित की जाएगी। आप धरोहर राशि जमा करने सहित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए नीलामी में भाग लेने हेतु स्वतंत्र हैं।

तिथि : 17.11.2026 स्थान : दिल्ली/एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक / Canara Bank

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
मकान्तल, अर्दा रामजस रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005
ईमेल: cb2385@canarabank.com

कब्जा सूचना [धारा 13(4)]
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि :

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत केनरा बैंक, एआरएम शाखा, केनरा बैंक बिल्डिंग, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005 के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणधारक/फर्म/गारंटर/बंधककर्ताओं **(1) मैसर्स टेकॉन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., अपने निदेशकों/गारंटर के माध्यम से; (2) श्री विदुर कोहली पुत्र श्री नवीन कोहली (गारंटर), स्वयं के लिए तथा स्वर्गीय श्रीमती आशिता को. हली (अन्य गारंटर) के विधिक वारिस के रूप में; (3) श्री विपुल कोहली पुत्र श्री नवीन कोहली (गारंटर), स्वयं के लिए तथा स्वर्गीय श्रीमती आशिता कोहली (अन्य गारंटर) के विधिक वारिसों में से एक के रूप में; (4) श्री नवीन कोहली पुत्र श्री श्याम सुंदर कोहली (गारंटर), स्वयं के लिए तथा स्वर्गीय श्रीमती आशिता कोहली (अन्य गारंटर) के विधिक वारिसों में से एक के रूप में; (5) श्री अनिल सूद पुत्र श्री बलदेव सूद (गारंटर), स्वयं के लिए तथा स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी सूद (अन्य गारंटर) के विधिक वारिसों में से एक के रूप में; तथा (6) प्रणव कॉमटेक प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर); को तिथि 25.08.2026 को एक मांग सूचना जारी कर उक्त सूचना में उल्लिखित राशि अर्थात् 24.08.2026** की स्थिति के अनुसार रु. 27,35,95,140.62 (रुपये सत्ताईस करोड़ पैंतीस लाख पिचानवे हजार एक सौ चालीस तथा बासठ पैसे मात्र) तथा उसके पश्चात् देय ब्याज, लागत, प्रभारों तथा व्ययों सहित का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा था।

ऋणधारक द्वारा उक्त राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहने के कारण, एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 तथा 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **17 नवंबर 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करें तथा संपत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार केनरा बैंक के प्रभाराधीन होगा, जो कि सूचना में उल्लिखित राशि अर्थात् 24.08.2026 की स्थिति के अनुसार रु. 27,35,95,140.62 (रुपये सत्ताईस करोड़ पैंतीस लाख पिचानवे हजार एक सौ चालीस तथा बासठ पैसे मात्र) तथा उसके पश्चात् होने वाले आगामी ब्याज तथा व्ययों में से यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे घटाकर शेष राशि के भुगतान के लिए है।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. फ्